



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102021-230440
CG-DL-E-16102021-230440

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943

No. 461]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

(डिग्रियों का विनिर्देशन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2021

मि. सं. 5-1/2017 (सीपीपी-II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22 के उप-अनुच्छेद (3) में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार एवं 5 जुलाई, 2014 को जारी डिग्रियों के विनिर्देशन संबंधी राजपत्र में संशोधन करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान (यू.जी.सी.), केंद्र सरकार के अनुमोदन से डिग्रियों के विनिर्देशन संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना में इस अधिसूचना द्वारा तृतीय संशोधन को अधिसूचित कर रहा है। सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से ही इसे लागू माना जाएगा।

विनिर्दिष्ट डिग्री

मेडिसिन एवं सर्जरी / आयुर्वेद / यूनानी / होम्योपैथी / हेल्थ एंड एलाइड साइंसेज / फार्मेसी / पैरामेडिकल / नर्सिंग के क्षेत्र में निम्न नई डिग्री को विनिर्देशित किया जाता है:

मेडिसिन एवं सर्जरी / आयुर्वेद / यूनानी / होम्योपैथी / हेल्थ एंड एलाइड साइंसेज / फार्मेसी / पैरामेडिकल / नर्सिंग:				
विनिर्दिष्ट डिग्री		स्तर	न्यूनतम अवधि (वर्ष)	प्रवेश अर्हता
लघुकृत	विस्तारित			

133.	बी.एस.आर.एम.एस.	बैचलर ऑफ सोवा- रिग्पा मेडिसिन एण्ड सर्जरी	स्नातक	5 ^{1/2}	10+2
------	-----------------	---	--------	------------------	------

जो विश्वविद्यालय बी.एस.आर.एम.एस. की डिग्री प्रदान कर रहे हैं, वे उपरोक्त तालिका के अनुसार अपने कार्यक्रमों को पुनर्गठित कर लें और डिग्री को बी.एस.आर.एम.एस. के रूप में प्रदान करें।

रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./332/2021-22]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

(Specification of Degrees)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2021

No. F.5-1/2017(CPP-II).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 22 of the University Grants Commission Act, 1956 and in amendment of earlier Gazette Notification on Specification of Degrees issued on 5th July, 2014, the University Grants Commission (UGC) with the approval of the Central Government hereby notifies the third amendment in the said UGC Notification on Specification of Degrees. This amendment will come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

SPECIFIED DEGREES

The following new degree under the head of Medicine & Surgery / Ayurveda / Unani / Homeopathy / Health & Allied Sciences / Pharmacy / Paramedical / Nursing are specified:

Medicine & Surgery / Ayurveda / Unani / Homeopathy / Health & Allied Sciences / Pharmacy / Paramedical / Nursing:					
	Specified degrees		Level	Minimum Duration (years)	Entry Qualification
	Abbreviated	Expanded			
133.	B.S.R.M.S.	Bachelor of Sowa-Rigpa Medicine and Surgery	Bachelor's	5 ^{1/2}	10+2

The Universities which are offering B.S.R.M.S programme, shall accordingly restructure this programme and award the degree as B.S.R.M.S.

RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Ety./332/2021-22]